राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष - 2020

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2020

(दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक)

1. अधिकरण का क्षेत्राधिकार

1.1. राज्य कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की अनुपालना में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन 1 जुलाई, 1976 को किया गया था। उक्त अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही लागू किया गया है। इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान है तथा सिविल सेवाएं जो राजपत्र में अधिसूचित हों (राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा तथा राज. न्यायिक सेवा के सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय स्टाफ के कर्मचारी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग व लोकायुक्त कार्यालय, उपलोकायुक्त के कर्मचारियों के अलावा)। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 10061/2020 सुनील व्यास बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 02.12.2020 को पारित आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक उपक्रम मय जे.डी.ए. एवं नगर निगम के कर्मचारियों को, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 के नियम 2(एफ) में परिभाषित सेवा मामलों हेतु अधिकरण में प्रथम सुनवाई का हक प्रदान करने के कारण वर्तमान में उक्त विभागों के कर्मचारियों के सेवा मामलों की सुनवाई भी अधिकरण में की जा रही है।

1.2. जोधपुर में अधिकरण की चलपीठ का गठन 1.11.1997 से किया गया है। कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में चलपीठ जोधपुर का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिग द्वारा किया जा रहा है।

2. न्याय पीठ का गठन

2.1 राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि–वेतनमान स्तर का अधिकारी तथा कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें एक राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होगा।

वर्तमान में निम्नानुसार न्यायिक व्यवस्था कार्यरत है।

अध्यक्ष तथा राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के अतिरिक्त 02 भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी तथा 01 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त हैं। माननीय सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

2.2 अधिकरण का संगठनात्मक विवरण

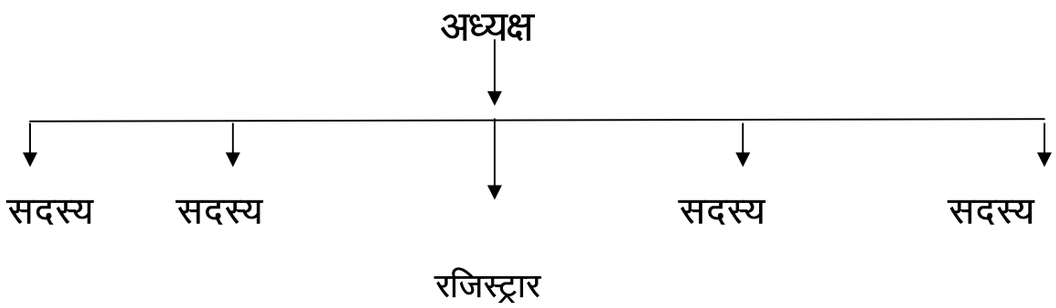

2.3 समीक्षाधीन अवधि 2020 में निम्नलिखित पदाधिकारी पदस्थापित रहे हैं :–

1. श्री गिरी राज सिंह, (IAS) अध्यक्ष	दिनांक 20.12.2018 से दिनांक 06.07.2020 तक
2. श्री रविशंकर श्रीवास्तव, (IAS) अध्यक्ष	दिनांक 06.07.2020 से निरन्तर
3. श्री प्रभु लाल आमेटा, सदस्य न्यायिक	दिनांक 07.05.2018 से दिनांक 17.03.2020 तक
4. श्रीमती शुभा मेहता, सदस्य न्यायिक	दिनांक 22.07.2020 से निरन्तर
5. डॉ. धर्मेन्द्र भटनागर (Rtd. IAS) सदस्य	दिनांक 11.09.2017 से दिनांक 10.09.2020 तक
6. श्री बन्ना लाल (Rtd. IAS) सदस्य	दिनांक 05.10.2017 से दिनांक 04.10.2020 तक
7. श्री जस्सा राम चौधरी (Rtd. RAS) सदस्य	दिनांक 14.05.2018 से निरन्तर
8. श्रीमती मुन्नी मीना (RAS) रजिस्ट्रार	दिनांक 27.02.2017 से निरन्तर

2.4 अधिकरण में स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

	पद नाम	**स्वीकृत पद**	**रिक्त पद**
1	निजी सचिव	01	01
2	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	–
3	सहायक रजिस्ट्रार	01	–
4	प्रोग्रामर	01	–
5	अति. निजी सचिव	04	03
6	निजी सहायक	02	01
7	अति. प्रशा. अधिकारी	01	01
8	सहायक प्रशा. अधिकारी	03	01
9	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड–II	01	–
10	शीघ्र लिपिक	06	04
11	वरिष्ठ सहायक	05	–
12	सूचना सहायक	01	–
13	कनिष्ठ सहायक	10	02
14	वाहन चालक	03	–
15	जमादार	01	–
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	07

वर्तमान में शीघ्र लिपिक के रिक्त पदों के विरूद्ध 01 शीघ्र लिपिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरूद्ध 01 सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संविदा पर एवं 03 होमगार्ड कार्यरत हैं।

3. अधिकरण की अधिकारिता :–

3.1 राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम, 1976 की धारा 2(एफ) के प्रावधानों के तहत राज्य कर्मचारियों के निम्न सेवा मामलों में सुनवाई का अधिकार है :–

1. वरिष्ठता
2. पदोन्नति
3. पुष्टीकरण (स्थायीकरण)
4. वेतन स्थिरीकरण
5. किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते, पेन्शन तथा अन्य सेवा शर्तों का उसके हित में अस्वीकार अथवा परिवर्तन करने वाला कोई आदेश।
6. उच्च सेवा श्रेणी अथवा पद पर स्थापन होते हुए निम्न सेवा श्रेणी अथवा पद पर पदावनति वाले मामले।
7. पेन्शन रोकना अथवा अधिकतम पेन्शन अस्वीकार करना।
8. राजस्थान सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.17(7) कार्मिक क–2/77 दिनांक 25.02.1995 के अनुसार स्थानान्तरण संबंधी मामलों में भी पूर्ण पीठ द्वारा अपीलें सुने जाने का प्रावधान था, अब राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.01.2016 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 के नियम 4 में संशोधन कर स्थानान्तरण से सम्बन्धित प्रकरण भी दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार स्थानान्तरण सहित सभी सेवा प्रकरणों का निस्तारण दो सदस्यीय पीठ द्वारा किया जाता है।

अधिकरण द्वारा पारित आदेश अन्तिम होता है। निर्णय से असंतुष्ठ कार्मिकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है।

3.2 अधिकरण की शक्तियाँ :–

अधिकरण के समक्ष प्रक्रियाएँ भारतीय दण्ड संहिता 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं 45 सन् 1860) की धारा 193 के अर्थों में न्यायिक प्रक्रियाएँ समझी जाती है।

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 2, सन् 1974) की धारा 345 तथा 346 और न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 (केन्द्रीय अधिनियम 70 सन् 1971) के प्रयोजनार्थ अधिकरण को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

2. अधिकरण के अधिनियम के अधीन अपील निपटाने के प्रयोजन के लिए मामलों में सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1903 (केन्द्रीय अधिनियम 5 सन् 1908) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियां भी अधिकृत हैं।

3.3 **पुस्तकालयः—** अधिकरण के पुस्तकालय में वर्ष 2020 के दौरान 11775 पुस्तकों से बढ़कर 11873 पुस्तकें हो गई है। अतः 98 नयी पुस्तकों एवं विधि संबंधी पीरियोडिकल जरनल्स (Journals) का और समावेश हुआ है।

3.4 **प्रतिलिपियाँः—** अधिकरण की प्रतिलिपि शाखा द्वारा वर्ष 2020 में कुल 3465 प्रतियां सशुल्क एवं 1805 प्रतियां निःशुल्क जारी की गई है। जिससे 21,206/— रूपये की आय प्राप्त हुई।

4.1 2020 मे प्राप्त अपीलों का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है :—

(1) माहवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 1
(2) जिलेवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 2
(3) विभागवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 3
(4) विषयवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 4
(5) अन्य प्रार्थना पत्रों का विवरण	—	सारणी 5
(6) निर्णयों की प्रतियों का विवरण	—	सारणी 6
(7) निर्णित अपीलों का विवरण	—	सारणी 7
(8) अधिकरण को वित्तीय वर्ष 2020—21— में आवंटित बजट एवं दिसम्बर 2020 तक खर्च की स्थिति		सारणी 8

4.2 वर्ष 2020 के अंतर्गत नई दर्ज की गई अपीलों की (सारणी–3) के अनुसार निम्न स्थिति उभरकर आती है :–

क्र. सं.	**विभाग**	**अपीलों की संख्या**	**प्रतिशत**
1.	शिक्षा विभाग	783	42.08%
2.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	309	16.61%
3.	गृह एवं पुलिस विभाग	227	12.20%
4.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	100	5.38%
5.	राजस्व विभाग	78	4.20%
6.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	63	3.39%
7.	वन विभाग	53	2.84%

शेष सभी विभागों के मिलाकर 13.33% से कम मामले दर्ज हुए हैं।

4.3 कोविड–19 के दौरान भी अधिकरण कोर्ट में ऑनलाईन वी.सी से अपीलों की सुनवाई निरन्तर की गई है।

4.4 वर्ष 2020 से अधिकरण की निर्णित पत्रावलियों के निर्णय अधिकरण की वेबसाईट पर भी अपलोड किये जा रहे है।

4.5 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश 2005 दिनांक 24.10.2005 को 1976 के राजस्थान के अधिनियम संख्या 34 में धारा–4 (क) का अन्तःस्थापन निम्न प्रकार किया है :–

(क) अपील तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि अन्य उपचार निःशेष न किये गये हों–(1) सामान्यतः अधिकरण अपील को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसका इस बात से समाधान नहीं हो जाता है कि अपीलार्थी ने सुसंगत सेवा नियमों के अधीन शिकायत को दूर करने के लिए उसे उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– इस धारा में अभिव्यक्ति, शिकायतों को दूर करने के लिए सेवा नियमों से सेवा मामलों के सम्बन्ध में किन्हीं शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में ऐसे नियम, विनियम, आदेश या अन्य लिखत या ठहराव अभिप्रेत है जो इस अधिनियम से अन्यथा तत्समय प्रवृत्त हों।

1976 के राजस्थान अधिनियम संख्या 34 की धारा–9 में अपीलों के लिए परिसीमा

(1) अधिकरण निम्नलिखित मामलों को स्वीकार नहीं करेगा :–

(क) ऐसे मामले में, जहाँ शिकायत के संबंध में धारा –4क की उप धारा (2) के खण्ड (क) में वर्णित ऐसा अन्तिम आदेश दिया गया है, यदि अपील उस तारीख से, जिसको ऐसा अन्तिम आदेश किया गया है, छः मास के भीतर–भीतर नहीं की गयी है।

(ख) ऐसे मामले में, जहाँ 4क की उप धारा (2) के खण्ड (ख) में वर्णित अपील की गयी है या अभ्यावेदन किया गया है और ऐसा अन्तिम आदेश किये बिना उसके पश्चात् छः मास की कालावधि समाप्त हो गयी है, यदि अपील छः मास की उक्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से छः मास के भीतर–भीतर नहीं की गयी है।

(ग) अन्य मामलों में, यदि अपील उस आदेश की तारीख से जिसके विरूद्व अपील की गयी है, छः मास के भीतर–भीतर नहीं की गयी है।

(2) उप–धारा (1) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी अपील उप–धारा (1) विनिर्दिष्ट परिसीमा की कालावधि के पश्चात् भी स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील नहीं करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 1: माहवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2020

(दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक)

माह	जयपुर	जोधपुर
जनवरी–2020	166	20
फरवरी–2020	238	54
मार्च–2020	91	2
अप्रेल–2020	0	0
मई–2020	17	0
जून–2020	53	0
जुलाई–2020	154	0
अगस्त–2020	167	9
सितम्बर–2020	194	12
अक्टूबर–2020	274	0
नवम्बर–2020	168	1
दिसम्बर–2020	235	6
योग	**1757**	**104**
महायोग	**1861**	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 2 : जिलेवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2020
(दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक)

क्रं. सं.	जिला	जयपुर	जोधपुर
1.	अजमेर	59	1
2.	अलवर	164	0
3.	जयपुर	418	0
4.	जोधपुर	18	15
5.	जालौर	14	5
6.	जैसलमेर	2	0
7.	बाड़मेर	16	1
8.	बांसवाड़ा	31	59
9.	बीकानेर	27	2
10.	बारां	23	0
11.	बूंन्दी	26	0
12.	भरतपुर	105	0
13.	भीलवाड़ा	49	0
14.	चित्तौड़गढ़	25	5
15.	चुरू	18	2
16.	झालावाड़	35	0
17.	झुन्झुनू	78	0
18.	कोटा	88	0
19.	करौली	45	0
20.	डूंगरपुर	8	0
21.	श्रीगंगानगर	21	2
22.	नागौर	27	2
23.	दौसा	84	1
24.	पाली	14	6
25.	सवाई माधोपुर	74	0
26.	उदयपुर	25	1
27.	राजसमन्द	8	0
28.	सीकर	97	0
29.	सिरोही	18	1
30.	प्रतापगढ़	12	0
31.	टोंक	40	0
32.	धौलपुर	44	0
33.	हनुमानगढ़	32	1
34.	दिल्ली	12	—
	योग	**1757**	**104**
	महायोग	**1861**	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 3 : विभागवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2020
(दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक)

क्रं. सं.	विभाग	जयपुर	जोधपुर
1	आबकारी विभाग	1	0
2	आयुर्वेद विभाग	26	1
3	उद्योग विभाग	2	0
4	तकनीकी शिक्षा विभाग	2	0
5	कॉलेज शिक्षा	12	0
6	कृषि विभाग	31	1
7	कार्मिक विभाग	11	0
8	कोष एवं लेखा विभाग	3	0
9	खान एवं भू विज्ञान विभाग	8	0
10	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	99	1
11	गृह विभाग	66	3
12	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	280	2
13	जल संसाधन विभाग	11	0
14	जन स्वा. अभि. विभाग	57	6
15	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	86	68
16	परिवहन विभाग	3	0
17	पशुपालन विभाग	9	1
18	महिला एवं बाल विकास विभाग	28	0
19	माध्यमिक शिक्षा विभाग	397	15
20	राज्य बीमा विभाग	4	0
21	राजस्व विभाग	77	1
22	देवस्थान	2	0
23	नियोजन एवं श्रम विभाग	2	0
24	वन विभाग	52	1
25	वित्त विभाग	19	0
26	जिला परिषद्	4	0
27	सामान्य प्रशासन विभाग	3	0
28	सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग	7	0
29	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2	0
30	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1	0
31	स्वायत्त शासन विभाग	28	1
32	संस्कृत शिक्षा विभाग	187	2
33	सहकारिता विभाग	7	0
34	सार्वजनिक निर्माण विभाग	36	0
35	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	2	0
36	स्थानीय निकाय विभाग	2	0
37	भू–जल विभाग	1	1
38	खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग	3	0
39	नगरीय विकास विभाग	2	0
40	पुलिस विभाग	158	0
41	पेंशन विभाग	2	0

42	मोटर गैराज विभाग	1	0
43	राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण	1	0
44	विद्युत विभाग	4	0
45	शिक्षा विभाग	14	0
46	संभागीय आयुक्त	2	0
47	अल्पसंख्यक विभाग	1	0
48	उपनिवेशन विभाग	1	0
	योग	**1757**	**104**
	महायोग	**1861**	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 4 : विषयवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2020

(दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक)

क्रं. सं.	विषय	जयपुर	जोधपुर
1.	पेंशन	20	2
2.	वरिष्ठता एवं पदोन्नति	209	7
3.	वसूली	126	2
4.	चयनित वेतनमान	86	65
5.	सेवानिवृत्ति	8	0
6.	स्थानान्तरण	894	20
7.	पदावनति	133	0
8.	वेतन निर्धारण	24	4
9.	वेतन स्थिरीकरण	5	0
10.	वेतन एवं भत्ते	157	0
11.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	6	0
12.	अन्य	89	4
	योग	**1757**	**104**
	महायोग	**1861**	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 5 : विभिन्न दर्ज प्रार्थना–पत्रों का विवरण वर्ष 2020

(दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक)

विषय	जयपुर	जोधपुर
अवमानना	140	13
पुनर्स्थापना	14	6
पुनर्विलोकन	10	4
रिमाण्ड	01	—
विविध एवं त्रुटि सुधार	11	—
कुल योग	**176**	**23**

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी : 6 निर्णय की प्रतियां जारी किए जाने व उनसे प्राप्त राशि का मासिक विवरण वर्ष 2020 **(दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक)**

माह / वर्ष	प्राप्त आवेदन–पत्र	प्रतिलिपियां दी गई	आवेदन–पत्र निरस्त	राशि प्राप्त
जनवरी 2020	345	345	0	2730
फरवरी 2020	336	336	0	3575
मार्च 2020	247	247	0	2241
अप्रैल 2020	0	0	0	0
मई 2020	18	18	0	97
जून 2020	64	64	0	894
जुलाई 2020	204	204	0	1331
अगस्त 2020	197	197	0	1465
सितम्बर 2020	924	924	0	2498
अक्टूबर 2020	355	355	0	2337
नवम्बर 2020	253	253	0	1490
दिसम्बर 2020	522	522	0	2548
योग	**3465**	**3465**	**0**	**21206**

जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक निःशुल्क राजकीय प्रयोजनार्थ 1805 प्रतियां जारी की गई।

वर्ष 2020 में माननीय उच्च न्यायालय में 0 मामले रैफर किए गए।

वर्ष 2020 में अधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की संख्या अधिकरण के अभिलेखानुसार 5 है।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी–7 दिनांक 1.1.2020 से 31.12.2020 तक जयपुर एवं जोधपुर पीठ में प्राप्त एवं निर्णित अपीलों का विवरण :–

वर्ष	**2000 से 2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**योग**	**जोधपुर**	**कुल योग**
1.1.20 को शेष अपील	364	186	115	135	130	141	164	130	252	317	449	485	360	712	2368	0	6308	890	7198
1.1.20 से 31.12.20 तक प्राप्त अपीलें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1757	1757	104	1861
पुनर्स्थापना / रिमाण्ड	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	5	1	15	6	21
योग	**370**	**187**	**115**	**135**	**130**	**141**	**164**	**130**	**252**	**317**	**450**	**485**	**361**	**712**	**2373**	**1758**	**8080**	**1000**	**9080**
1.1.20 से 31.12.20 तक निर्णित अपीलें	49	23	4	–	1	4	9	3	12	8	11	21	30	118	1401	747	2441	113	2554
31.12.20 को शेष	**321**	**164**	**111**	**135**	**129**	**137**	**155**	**127**	**240**	**309**	**439**	**464**	**331**	**594**	**972**	**1011**	**5639**	**887**	**6526**

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 8 :– अधिकरण को आवंटित बजट (वित्तीय वर्ष 2020–21) व दिनांक 31.12.2020 तक व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रं. सं.	मद	आवंटित	व्यय
1.	संवेतन	374.00	237.88
2.	यात्रा भत्ता व्यय	2.50	0.07
3.	चिकित्सा व्यय	2.50	2.32
4.	कार्यालय व्यय	20.00	6.71
5.	कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	1.80	1.44
6.	पुस्तकालय	1.25	0.59
7.	वाहन किराया	9.50	4.85
8.	संविदा सेवाएं	6.50	2.80
9.	वर्दी	0.30	0.28
10.	कम्प्यूटराइजेशन एवं तत् संबंधी संचार व्यय	10.00	7.34
	योग	**428.35**	**264.28**

नोट :–

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व मद 0070 में जमा राशि दिनांक 31.12.2020 तक रूपये 21206/– है।
2. अंकेक्षण जाँच पैराओं की स्थिति :– बकाया आक्षेप–43

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर